उत्तर मध्य रेलवे के साधारण एवं सहायक नियम की संशोधन पर्ची संख्या-60 दिनांक-23.09.2019 का राजभाषा में अनुवाद |

(संदर्भ: मु.सं.अधि./उमरे का पत्र सं.-उ.म.रे./संरक्षा/आरबी-2/2019-20, दिनांक- 27.05.2019, मद 1, 2 एवं 3)
(संदर्भ: वरि.मं.परि.प्रबं (समन्वय)/इला. का पत्र सं. टी./विविध/रूल/1/2019, दिनांक-19.08.2019, मद 4)

01. नया स.नि. 6.03/1(ज), स.नि. 6.03/1(छ) के बाद जोड़ा जाता है जो निम्नलिखित रूप में है - (संशोधन/पर्ची सं.-60)

स.नि. 6.03/1(ज) - जब दुर्घटना या किसी अन्य कारण से दोहरी लाइन/बहु लाइन सेक्शन में ब्लाक सेक्शन को क्लियर किए बिना कोई गाड़ी स्टेशन सेक्शन में रुक जाए, जिसका कारण तुरंत स्पष्ट न हो तथा लोको पायलट गाड़ी आगे बढ़ाने में असमर्थ हो, तो वह तुरंत इंजन की हेड लाइट बंद करके विपरीत दिशा की गाड़ी के लोको पायलट का ध्यान आकर्षित करने के लिए फ्लैशर लाइट जलाएगा और चार छोटी सीटी (0000) बार-बार बजाकर अथवा वॉकी-टॉकी द्वारा गार्ड को यह बताएगा कि गाड़ी आगे जाने में असमर्थ है, और लाल हाथ सिगनल दिखाएगा |

गार्ड, लोको पायलट की सीटी सुनकर लाल हाथ सिगनल ऊपर नीचे हिलाकर पावती देगा | लोको पायलट गार्ड के संकेत को देखकर एक लंबी सीटी बजाकर अभिस्वीकृति देगा | तब गार्ड ब्रेकयान पर दिन में लाल झंडी ऐसी जगह पर लगाएगा जिसे लोको पायलट आसानी से देख सके और यदि ब्रेकवान में बगल वाली बत्ती लगी हो तो रात के समय उस लाल बत्ती को लोको पायलट की ओर पीछे घुमा देगा अथवा तीन कलर वाली टार्च की लाल रोशनी लोको पायलट की ओर कर देगा |

गार्ड यह भी सुनिश्चित करेगा कि दिन के समय टेल बोर्ड सही स्थिति में है और रात के समय लाल फ्लैशिंग टेल लैंप तथा बगल वाली बत्ती (यदि हो तो) तेज रोशनी के साथ जल रही है | लोको पायलट विपरीत दिशा में आती हुई गाड़ी के लोको पायलट का ध्यान आकर्षित करने हेतु बार-बार सीटी बजाता रहेगा |

लोको पायलट और गार्ड बगल वाली लाइन और गाड़ी का बचाव सा.नि. 6.03 के अनुसार करेंगे और वॉकी-टॉकी/सीयूजी/एमटीआरसी फोन के माध्यम से ड्यूटी वाले स्टेशन मास्टर को विपरीत दिशा के सिगनलों को 'ऑन' स्थिति में करने के लिए सूचित करेंगे |

यदि गाड़ी स्टेशन सेक्शन में उल्लंघन चिह्न को क्लियर करके खड़ी हुई है तब गार्ड द्वारा गाड़ी का पीछे से बचाव करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि उस दौरान स्टेशन के स्टॉप सिगनलों द्वारा गाड़ी का बचाव होगा |

02. वर्तमान स.नि. 6.04/1(क)(iii) को हटाया जाता है और उसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाता है- (संशोधन/पर्ची सं.-60)

स.नि. 6.04/1(क)(iii) - दोहरी/बहु लाइन सेक्शन पर स्टेशन मास्टर को विपरीत/उसी दिशा की ओर जाने वाली पहली गाड़ी को अवश्य रोक लेना चाहिए और गाड़ी के लोको पायलट को परिस्थिति की जानकारी देनी चाहिए और उसे दिन के समय जब आगे दृश्यता साफ हो तो गाड़ी की गति 60 कि.मी. प्रतिघंटा से अधिक न रखने और रात/कोहरे के दौरान जब दृश्यता स्पष्ट न हो तो गाड़ी की गति 30 कि.मी. प्रतिघंटा से अधिक न रखने, साथ ही अन्य गति प्रतिबंधों का पालन करते हुए सावधानीपूर्वक आगे बढ़ने के लिए अनुदेश देना चाहिए |

03. वर्तमान स.नि.17.09/1(1)(ii)(ख) को हटाया जाता है और उसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाता है- (संशोधन/पर्ची सं.-60)

स.नि. 17.09/1(1)(ii)(ख) - सेक्शन कंट्रोलर इस बात की जाँच करेगा कि दोषपूर्ण सेक्शन में कोई गाड़ी प्रवेश तो नहीं कर चुकी है (दोषपूर्ण सेक्शन में ब्लाक सेक्शन/स्टेशन सेक्शन अथवा दोनों शामिल हैं) | यदि नहीं, तो वह संबंधित स्टेशन मास्टर को अप्रभावित सेक्शन पर पहली गाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करने हेतु सूचित करेगा "अत्यंत सावधानीपूर्वक आगे बढ़ने के लिए दिन के समय जब दृश्यता स्पष्ट हो तो 60 कि.मी. प्रतिघंटा से अधिक नहीं और रात/कोहरे के दौरान जब दृश्यता स्पष्ट न हो तो गाड़ी की गति 30 कि.मी. प्रतिघंटा से अधिक नहीं की गति से, अन्य गति प्रतिबंधों का पालन करते हुए और जाते समय वह समीपवर्ती लाइन/लाइनों अथवा उसी लाइन पर सतर्क निगाह रखे ताकि यह पता चल सके कि ऊपरी उपस्करों में कोई असामान्यता या रूकावट तो नहीं है |"

इस बात की पुष्टि टीपीसी से कर लेने के बाद ही कि अप्रभावित सेक्शन में ओएचई पुन: चालू की जा चुकी है और ड्यूटी वाले स्टेशन मास्टर द्वारा सतर्कता आदेश जारी किया जा चुका है पहली गाड़ी को अप्रभावित सेक्शन में भेजा जाएगा |

अगले स्टेशन पर पहुँचने के बाद लोको पायलट, स्टेशन मास्टर को लिखित में यह रिपोर्ट देगा कि वह जिस सेक्शन से आया है, वह गाड़ी संचालन के लिए सुरक्षित है या नहीं है |

04. वर्तमान स.नि. 4.42/2(क)(ii) को हटाया जाता है और उसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाता है- (संशोधन/पर्ची सं.-60)

स.नि. 4.42/2(क)(ii)- स्टेशन कर्मचारी दिन में हरे हाथ सिगनल का आदान-प्रदान करते समय बाएं हाथ में हरी झंडी और दाहिने हाथ में लिपटी हुई लाल झंडी रखेंगे, ताकि यदि गाड़ी में कोई असुरक्षित स्थिति दिखाई दे तो वे गाड़ी के कर्मीदल का ध्यान आकर्षित करने के लिए तुरंत लाल झंडी दिखा सकें |

दिनांक : 08.05.2020.

(रवि वल्लूरी)
प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक